जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 08-09-2021**

आज दिनांक 08.09.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री रामप्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 114 / 2021 धारा 363 / 366 / 376 भा0द0वि0 व 3 / 4 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त नाम पता रजीत कुमार बघेल पुत्र भगवानदास बघेल निवासी सादलियापुरा थाना फतेहाबाद जनपद आगरा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 01.03.2021 को वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था व उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना धनघटा पर दिनांक 10.03.2021 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 08.09.2021 को थाना धनघटा पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बहला फुसलाकर भगाने के मामले मे वाँछित अभियुक्ता गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री रामप्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में **प्रभारी महिला रिपोर्टिंग चौकी थाना धनघटा उ0नि0 श्रीमती गौरी शुक्ला द्वारा** मु0अ0सं0 404 / 2021 धारा 363 / 366 / 120(बी) भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्ता नाम पता सुरंजना पत्नी राजू निषाद निवासी छपरामगर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- प्रभारी महिला रिपोर्टिंग चौकी उ0नि0 श्रीमती गौरी शुक्ला, का0 उमेश मौर्या, म0कां0 पूनम गौड़।

01 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चेकिंग के दौरान आज दिनांक 08.09.2021 को समय 11.55 बजे बनौली चौराहे के पास से मो0 ताहिर पुत्र इसरत अली निवासी करनजोत थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को 01 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 165 / 2021 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- व0उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार नायक, हे0का0 धर्मनाथ यादव, का0 कृष्ण नारायन गौड़।

01 अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति / वस्तुओं एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान आज दिनांक 08.09.2021 को समय 13.30 बजे गोइठहा पुलिया के पास से मो0 अख्तर अली उर्फ सहरेकार पुत्र शोएब अहमद निवासी मुड़िला कला थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 290 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विजय यादव, का0 बहादुर।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 14 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया

<u>पीआरवी आफ द डे</u>

<u>पीआरवी 2545 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को पहुंचाया गया अस्पताल</u> – पीआरवी <u>2545</u> को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत उतरावल से इवेन्ट संख्या 07766 से कालर ने मार्ग दुर्घटना मे 02 व्यक्तियों के घायल होने के संबन्ध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 05 मिनट में पहुंचकर घायल व्यक्तियों को पीआरवी वाहन से ले जाकर इलाज करवाकर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया तथा दुर्घटना के संबंध मे थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना मे घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले जाकर इलाज कराकर उनकी जा नबचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 रामचन्द्र सिंह, म0आ0 नीलम यादव, म0आ0 प्रेमा बिंद, हो0चा0 संतोष दूबे।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 79 वाहनो से 73000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 08.09.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 79 वाहनो से 73000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।